4

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब डिजिटल रूप से सब्सक्राइब किया जा सकता है ई-एनपीएस चैनल ("APY@eNPS") में पूरी तरह से डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है

Posted On: 16 JUN 2017 4:39PM by PIB Delhi

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने "APY@eNPS" को शुरू कर दिया है, जिसमें सम्पूर्ण डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है। अटल पेंशन योजना के विस्तार के लिए पीएफआरडीए ने जो विभिन्न कदम उठाये हैं, उसकी यह अद्यतन श्रेणी है। इसके तहत लोगों को ज्यादा आसानी होगी। पीएफआरडीए ने कोलकाता, बेंगलूरू और मुम्बई के बैंकों तथा डाक विभागों के साथ बैठकें की हैं।

पीएफआरडीए के सीजीएम श्री ए.जी.दास ने अभी हाल में मुम्बई में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें बैंकों और डाक विभागों के आईटी विभाग/नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं को एपीवाई के अंतर्गत APY@eNPS के प्लेटफार्म की जानकारी दी। इस अवसर पर 45 से अधिक बैंक अधिकारी उपस्थित थे। एपीवाई सेवा प्रदाताओं को APY@eNPS के चैनल को 30 जून, 2017 के पहले विकसित करने के बारे में बताया गया।




05 जून, 2017 को बेंगलूरू में आयोजित बैठक



09 जून, 2017 को मुम्बई में आयोजित बैठक

एपीवाई को प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था और यह 01 जून, 2015 से चालू हो गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। एपीवाई के अंतर्गत सभी सब्सक्राइबरों को 1,000 रूपये, 2,000 रूपये, 3,000 रूपये,4,000 रूपये और 5,000 रूपये की न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलेगी। यह पेंशन एपीवाई में शामिल होने के समय और उनके योगदान के अनुरूप होगी।

एपीवाई सब्सक्राइबरों का आधार 54 लाख अधिक सब्सक्राइबरों का है। एपीवाई निजी प्रबंधकों ने 13.91 प्रतिशत का रिटर्न सृजित किया है।



वीके/एकेपी/जीआरएस - 1759

(Release ID: 1493073) Visitor Counter: 9

f







in